यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

ठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 162 / प्रा0पत्र / 2019

1. भंवरलाल आयु 70 वर्ष आ0 मांग्या जाति माली निवासी रानीपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

2. सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी, राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 23 / 10 / 2020

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 863, 864, 868, 875, 880, 885, 891, 892, 1113, 1114, 1117 कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पि0 मांग्या दर्ज है जो सही है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 904 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम भूरा पि0 मांग्या दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। कृषि भूमि खसरा संख्या 902 रकबा 7 बिस्वा, 903 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम भूरा पि0 मांग्या दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का नाम भंवरलाल आत्मज मांग्या है और प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि समस्त दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पिता मांग्या दर्ज है लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि की जमाबंदही में प्रार्थी का नाम भूरा पि0 मांग्या अशुद्व एवं गलत दर्ज कर रखा है जबकि प्रार्थी का नाम भंवरलाल पि0 मांग्या है जिसके इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज अशुद्व / गलत दर्ज इन्द्राज भूरा पि0 मांग्या के स्थान पर सही नाम भंवरलाल पि0 मांग्या दर्ज करने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रार्थना

प्रस्तुत किया जिस पर पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक रानीपुरा द्वारा बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें भूरा पि0 मांग्या के स्थान पर भंवरलाल पि0 मांग्या दर्ज किया जाना उचित माना है और नायब तहसीलदार सा0 दबलाना द्वारा भी दिनांक 19.08.19 को इन्द्राज दुरूस्त करने की अनुशंषा की है लेकिन अभी तक भी इन्द्राज दुरूस्त नही किया गया है। सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पि0 मांग्या दर्ज होने से तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भूरा पि0 मांग्या दर्ज होने से प्रार्थी उक्त भूमियों पर कृषि ऋण व सरकार की योजनाओं का लाभ नही ले पा रहा है ऐसी स्थिति में जमाबंदी संवत 2075–2078 की खतोनी खाता संख्या 266 में दर्ज भंवरलाल पि0 मांग्या के अनुरूप प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि की जमाबंदी में भूरा पि0 मांग्या के इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हैं। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज उक्त अशुद्व इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थी ने तहसीलदार साहब के समक्ष दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद व उनकी तरफ से दिनांक 19.08.19 को रिपोर्ट अनुशंषा कर देने के बावजूद उक्त अवैध इन्द्राज को दुरूस्त नही किया है। इस कारण प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। श्रीमान लेण्ड रिकार्ड ऑफिसस होने से लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत 2075 से 2078 की खतोनी संख्या 266 में दर्ज भंवरलाल पि0 मांग्या के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 904, 902, 903 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूरा पि0 मांग्या के इन्द्राज को दुरूस्त कर उसके स्थान पर "भंवरलाल पि0 मांग्या" दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मुताबिक संलग्न जमाबंदी स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 संलग्न रेकार्ड के स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 व 6 वादी स्वयं सिद्व करें। अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 कानूनी प्रक्रिया के बिन्दु है। जवाब की आवश्यकता नही है। यह है कि संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का वं भू0अ0नि0 रानीपुरा व तहसीलदार हिण्डोली के संवत 2075–78 के खाता संख्या 289 व 579 में भूरा पि0 मांग्या के बजाय भंवरलाल पि0 मांग्या शुद्व किया जाना उचित है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पि0 मांग्या है जो सही है जिसे जमाबंदी खसरा संख्या 904, 902, 903 ग्राम रानीपुरा पटवार मंडल रानीपुरा में भूरा पि0 मांग्या के स्थान पर भंवरलाल पि0 मांग्या कोम माली दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध स्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्तावेजों आधार कार्ड नम्बर 251382371557 व मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ14/103/0390175 तथा भामाशाह पहचान संख्या BAAWSOS व जमाबंदी ग्राम रानीपुरा खाता संख्या 266 में भंवरलाल पि0 मांग्या दर्ज है, अतः मुताबिक दस्तावेज/प्रस्तुत जवाब के जमाबंदी में अंकित भूरा के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी का सही नाम भंवरलाल पि0 मांग्या कोम माली दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा संख्या 904, 902, 903 वाके ग्राम रानीपुरा पटवार मंडल रानीपुरा में भूरा पि0 मांग्या के स्थान पर भंवरलाल पि0 मांग्या कोम माली राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली